रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267490 CG-DL-E-08112025-267490

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947
No. 328]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शुद्धिपत्र

नई दिल्ली. 6 नवम्बर. 2025

फा. सं. ए.12011/01/2025-सीएचएस-I.— दिनांक 20.08.2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा,2025 के नियमों के अनुशेष के संदर्भ में "टाई ब्रेकिंग सिद्धांत" के पैरा (ख) (ii) में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

के स्थान पर	पढ़ा जाए
बिंदु (ख) (ii): यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो कम	बिंदु (ख) (ii): यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं,तो आयु में
आयु वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी	वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

7423 GI/2025 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th November, 2025

F. No. A.12011/01/2025-CHS-I.—The following changes are hereby made in Para (B) (ii) of the addendum i.r.o. Tie-Breaking Principle' to the Rules of Combined Medical Services Examination, 2025 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 20.08.2025:-

For	Read
Point (B)(ii): If the marks at (i) above are equal, the candidate younger in age will be ranked higher	Point (B)(ii): If the marks at (i) above are equal, the candidate senior in age will be ranked higher

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.